भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3230

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अपमिश्रित चॉकलेट के मामले

3230. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के उत्पादन का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) क्या देश में चॉकलेट का उत्पादन करने वाली कंपनियों पर स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलावटी अथवा संदूषित चॉकलेट के संबंध में प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है और दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार चॉकलेट जैसे खाद्य उत्पादों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानून या सख्त विनियम लाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (छ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री व आयात को विनियमित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। एफएसएस अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम (एफएसएसआर) के अंतर्गत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन

सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से पूरे वर्ष राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना (एनएएसपी), निरीक्षण और नमूनाकरण कार्यकलाप सहित नियमित रूप से स्थानिक/लक्षित विशेष प्रवर्तन और निगरानी अभियान संचालित करता है। यदि मानकों में कोई विचलन या एफएसएसआर का उल्लंघन पाया जाता है, तो दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) पर एफएसएस अधिनियम 2006 और उससे संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई सहित विनियामक कार्रवाई की जाती है। पिछले 5 वर्षों में अनुपालन न करने के दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक को खाद्य व्यवसाय के प्रकार एवं पैमाने के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियमन, 2011 के अंतर्गत निर्धारित अनुसूची 4 की स्वच्छता एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। इन आवश्यकताओं को गैर-अनुपालन पर विनियमन के अंतर्गत निर्दिष्ट विनियामक कार्रवाई की जाएगी।

डीओ/एफएसओ द्वारा प्राप्त सभी उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित एवं कुशल रूप से निपटान किया जाता है तथा एफएसएस अधिनियम, 2006 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विनियामक कार्रवाई की जाती है।

ऐसे मामले, जहां खाद्य नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, उनमें दंडात्मक उपाय यथा न्यायनिर्णयन और अभियोजन, जो न्यायिक प्रकृति के हैं, जिनमें एफएसएस अधिनियम 2006 के अध्याय IX के अनुसार शास्ति/दंड का प्रावधान है, सहित एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार दोषी खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

एफएसएसएआई, स्वच्छता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चॉकलेट जैसे उत्पादों सहित खाद्य सुरक्षा नियमों की निरंतर समीक्षा करता है और उन्हें सुदृढ़ बनाता है।

अनुलग्नक-I

पिछले 5 वर्षों के प्रवर्तन का विवरण (चॉकलेट सहित)			
वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अननुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए मामलों की संख्या
2024-25	1,70,535	34,388	31.407
2023-24	1,70,513	33,808	30,747
2022-23	1,77,511	44,626	29,652
2021-22	1,44,345	32,934	20,108
2020-21	1,07,829	28,347	15,323

****